35th All India Inter-University Moot Court Competition by Bar Council of India in association with The ICFAI University, Dehradun April 23, 2019, 2017

इक्फाई में अखिल भारतीय अंतर विवि मूट कोर्ट प्रतियोगिता संपंन

● [illegible] वंचित रखना है: न्यायमूर्ति मृदुला

शाह टाइम्स संवाददाता

विकासनगर। आईसीएफएआई वि.विद्यालय (इक्फाई) के सहयोग से बार काउंसिल आफ इंडिया की 35वीं अखिल भारतीय अंतर-विश्व. विद्यालय मूट कोर्ट प्रतियोगिता संपन्न हो गई। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति मृदुला मिश्रा, पटना के उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश और चाणक्य नेशनल ला यूनिवर्सिटी की कुलपति और बार काउंसिल आफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा थे।

न्यायमूर्ति मृदुला मिश्रा ने कहा, 'न्याय में देरी' न्याय से वंचित रखना है। जब आप कानून का अध्ययन करने का निर्णय लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, आप शिक्षाविदों, कारपोरेट, न्यायपालिका, सिविल सेवाओं में जा सकते हैं। पहली बात जो कानून से जुड़ी है, वह न्यायपालिका है और इसका मतलब केवल न्यायाधीश ही नहीं है, बल्कि न्यायाधीश और अधिवक्ता दोनों शामिल हैं। मूट कोर्ट सामान्य अदालत की नकल है। न्यायाधीश के समक्ष शिष्टाचार का पालन किया जाना चाहिए और एक वकील के रूप में आप पर क्या कर्तव्य और दायित्व लागू किए जाते हैं, यह मूट कोर्ट में भाग लेने के माध्यम से अनुभव किया जाता है।

मूट कोर्ट प्रतियोगिता के विजेता आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, हैदराबाद (आईएफएचई) को [illegible] एक प्रमाण पत्र, ट्राफी और 20 हजार रुपये साथ सम्मानित किया गया और रनर अप तमिलनाडु नेशनल ला यूनिवर्सिटी को 15 हजार रुपये, प्रमाण पत्र और ट्राफी के साथ सम्मानित किया गया।

Shah Times

न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

देहरादून।

इक्फाई विश्वविद्यालय व बार काउंसिल ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सम्पन्न हो गई। तीन दिवसीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए इक्फाई विश्वविद्यालय ने हैदराबाद ने खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता में विभिन्न संस्थानों की 22 टीमों ने हिस्सा लिया था।

राष्ट्रीय मूट कोर्ट में इक्फाई विवि हैदराबाद बना विजेता

तीन दिवसीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता सम्पन्न

मूट कोर्ट प्रतियोगिता के अंतिम दिन सोमवार को सेमीफाइनल व फाइनल में प्रतिभागियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। फाइनल में इक्फाई विवि हैदराबाद व तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बीच कांटे की टक्कर रही। दोनों ही टीमों ने तर्कों के साथ बहस की। आखिर में इक्फाई विश्वविद्यालय ने हैदराबाद को विजेता घोषित किया गया। तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रनर अप रहा। समापन समारोह में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की कुलपति व पटना उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश मृदुला मिश्रा ने छात्र-छात्राओं को कानून की बारीकियों से अवगत कराया। बतौर मुख्य अतिथि मृदुला मिश्रा ने कहा कि न्याय में देरी न्याय से वंचित करना है।

उन्होंने कहा कि कानून के अध्ययन के बाद रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद शिक्षाविदों, कारपोरेट, न्यायपालिका व सिविल सेवा में जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का मतलब केवल न्यायाधीश ही नहीं है बल्कि न्यायाधीश और अधिवक्ता दोनों शामिल हैं। मूट कोर्ट के जरिये न्यायाधीश के समक्ष शिष्टाचार का पालन और एक अधिवक्ता के रूप में कर्तव्य और दायित्वों का अनुभव होता है। इस दौरान उन्होंने जीवन के अनुभवों को भी साझा किया। समापन समारोह में विजेता व उप विजेता टीमों को ट्राफी के साथ नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया।

इस मौके पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा, इक्फाई विवि के कुलपति डा. पवन अग्रवाल, प्रभारी इक्फाई लॉ स्कूल डा. युगल किशोर, समन्वयक सुनील कुमार, सौरभ सिद्धार्थ, अवनीश भट्ट, छात्र समन्वयक साक्षी मिश्रा, सह समन्वयक प्रिय मिश्रा, आकार श्रीवास्तव, मनस्वी गुप्ता व राजपाल आदि मौजूद थे।

विजेता टीम को ट्राफी प्रदान करती मुख्य अतिथि मृदुला मिश्रा।

Rashtriya Sahara

मूट कोर्ट प्रतियोगिता में इक्फाई अव्वल

देहरादून | हमारे संवाददाता

इक्फाईविश्वविद्यालय और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के संयुक्त प्रयासों से आयोजित 35 वीं राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का समापन सोमवार को हुआ। इसमें इक्फाई की टीम अव्वल रही। समापन पर अव्वल रहे प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया।

इक्फाई विवि में मूट कोर्ट प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। • हिन्दुस्तान

इक्फाई विवि में समापन समारोह का शुभारंभ पटना के उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश मृदुला मिश्रा और चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। न्यायमूर्ति मृदुला मिश्रा ने कहा कि मूट कोर्ट सामान्य अदालत की नकल है। न्यायाधीश के समक्ष शिष्टाचार का पालन किया जाना चाहिए।

Hindustan

35वीं अखिल भारतीय अंतर विवि मूट कोर्ट प्रतियोगिता

आईसीएफएआई विश्वविद्यालय हैदराबाद रहा विजेता

GadSamvedna

मूट कोर्ट में कानूनों पर हुई चर्चा

बार काउंसिल ऑफ इंडिया और इक्फाई यूनिवर्सिटी द्वारा 35वी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी मूट कोर्ट कॉम्पिटीशन का किया गया आयोजन

career@inext.co.in

इक्फाई यूनिवर्सिटी के सहयोग से बार काउंसिल ऑफ इंडिया की 35वीं अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी मूट कोर्ट कॉम्पिटीशन का समापन हो गया. 20 से 22 अप्रैल तक आयोजित मूट कोर्ट में भारतीय संविधान, मुस्लिम कानून, अपराधिक और सरोगेसी कानून आदि मुद्दों पर चर्चा की गई.

कैंपस हलचल

पहली बार सबसे बड़ी मूट कोर्ट

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से उत्तराखंड में पहली बार सबसे बड़ी मूट कोर्ट प्रतियोगिता आयोजित हुआ. इसमें भारत के विभिन्न राज्यों के लॉ कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने भाग लिया. बताया गया कि मूट कोर्ट, प्रतियोगिता को आयोजित करने का मकसद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स को वास्तविक जीवन में अदालत का अनुभव देने के साथ ही संविधान कानून, मुस्लिम कानून, अपराधिक कानून, सरोगेसी कानून के बारे में शिक्षित करना है. 35वीं ऑल इंडिया इंटर-यूनिवर्सिटी मूट कोर्ट प्रतियोगिता का उद्घाटन चीफ गेस्ट न्यायमूर्ति एपी मिश्रा भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और कानूनी शिक्षा समिति बीसीआई अध्यक्ष के द्वारा किया गया.

स्टूडेंट्स हुए सम्मानित

समापन सत्र में चीफ गेस्ट पटना हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश मृदुला मिश्रा और चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति व बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा थे. न्यायमूर्ति मृदुला मिश्रा ने कहा कि न्याय में देरी न्याय से वंचित रखना है. जब आप कानून का अध्ययन करने का निर्णय लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, आप शिक्षाविदों, कॉरपोरेट, न्यायपालिका, सिविल सेवाओं में जा सकते हैं. पहली बात जो कानून से जुड़ी है, वह न्यायपालिका है और इसका मतलब केवल न्यायाधीश ही नहीं है, बल्कि न्यायाधीश और अधिवक्ता दोनों शामिल हैं. मूट कोर्ट सामान्य अदालत की नकल है. न्यायाधीश के समक्ष शिष्टाचार का पालन किया जाना चाहिए और एक वकील के रूप में आप पर क्या कर्तव्य और दायित्व लागू किए जाते हैं. मूट कोर्ट कॉम्पिटीशन के विजेता इक्फाई कॉलेज हैदराबाद रहे, जिन्हें एक प्रमाण पत्र, ट्रॉफी और 20 हजार रुपए के साथ सम्मानित किया गया.

PhD WRITEKRAFT
THESIS || RESEARCH PAPERS
- Thesis & Research Paper
- Guidance from Professional & Experienced PhD Gurus
- Publication in National/International Journals (UGC Approved)
- Data Analysis (SPSS, Etc.)
- No Plagiarism (TURNITIN)

NATIONAL AWARD WINNER
(By Hon. President APJ Abdul Kalam)

Writekraft Research & Publications LTD.
Ph: 0512-2328181, 7753818181, 9838033084
E: admin@writekraft.com, W: www.writekraft.com

Dainik Jagran I-Next

अपने दायित्वों को समझें एडवोकेट: मिश्रा

इक्फाई यूनिवर्सिटी में मूट कोर्ट का समापन

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया आयोजन

PIC: DAINIK JAGRAN I NEXT

विनर कॉलेज को मिला पुरस्कार.

DEHRADUN (22 April): इक्फाई यूनिवर्सिटी के सहयोग से बार काउंसिल ऑफइंडिया की 35 वीं अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी मूट कोर्ट कॉम्पिटीशन का समापन हो गया. इस दौरान चीफ गेस्ट पटना हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश मृदुला मिश्रा और चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति व बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा थे.

'न्याय में देरी बड़ा अन्याय'

न्यायमूर्ति मृदुला मिश्रा ने कहा कि न्याय में देरी न्याय से वंचित रखना है. जब आप कानून का अध्ययन करने का निर्णय लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, आप शिक्षाविदों, कॉरपोरेट, न्यायपालिका, सिविल सेवाओं में जा सकते हैं. पहली बात जो कानून से जुड़ी है, वह न्यायपालिका है और इसका मतलब केवल न्यायाधीश ही नहीं है, बल्कि न्यायाधीश और अधिवक्ता दोनों शामिल हैं. मूट कोर्ट सामान्य अदालत की नकल है. न्यायाधीश के समक्ष शिष्टाचार का पालन किया जाना चाहिए और एक वकील के रूप में आप पर क्या कर्तव्य और दायित्व लागू किए जाते हैं. यह मूट कोर्ट में भाग लेने के माध्यम से अनुभव किया जाता है. मूट कोर्ट कॉम्पिटीशन के विजेता इक्फाई कॉलेज हैदराबाद रहे, जिन्हें एक प्रमाण पत्र, ट्रॉफी और 20 हजार रुपए के साथ सम्मानित किया गया.

Dainik Jagran I-next

प्रतियोगिता संपन्न

देहरादून। आईसीएफएआई विश्वविद्यालय के सहयोग से 'बार काउंसिल ऑफ इंडिया' के तत्वावधान में 35 वीं अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय मूट कोर्ट प्रतियोगिता संपन्न हुई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति मृदुला मिश्रा, पटना के उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश और चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की कुलपति और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा मौजूद रहे। सोमवार को संपन्न हुई मूट प्रतियोगिता के अवसर पर न्यायमूर्ति मृदुला मिश्रा ने कहा कि न्याय में देरी न्याय से वंचित रखना है।

Dainik Bhaskar

'न्याय में देरी न्याय से वंचित रखने के समान'

मूट कोर्ट प्रतियोगिता की विजेता टीम को सम्मानित करते अतिथि। अमर उजाला

अमर उजाला ब्यूरो

इक्फाई विवि में आयोजित मूट कोर्ट प्रतियोगिता में बोलीं पटना न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश

विकासनगर। इक्फाई विश्वविद्यालय में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का समापन सोमवार को हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहीं पटना उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश और चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी की कुलपति न्यायमूर्ति मृदुला मिश्रा ने कहा कि न्याय में देरी न्याय से वंचित रखना है।

उन्होंने कहा कि जब आप कानून का अध्ययन करने का निर्णय लेते हैं, तो बहुत सारे विकल्प उपलब्ध रहते हैं। कानून का छात्र शिक्षाविद्, कॉरपोरेट, न्यायापालिका, सिविल सेवाओं में जा सकता है। न्यायपालिका का मतलब सिर्फ न्यायाधीश ही नहीं, बल्कि न्यायाधीश और अधिवक्ता दोनों शामिल हैं। कहा कि मूट कोर्ट सामान्य अदालत की नकल है। न्यायाधीश के समक्ष शिष्टाचार का पालन किया जाना चाहिए। मूट कोर्ट बताता है कि एक अधिवक्ता के तौर पर आपके क्या कर्तव्य और दायित्व होते हैं।

मूट कोर्ट प्रतियोगिता के तहत आईसीएफआई विश्वविद्यालय हैदराबाद की टीम ने प्रथम और तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की टीम ने द्वितीय स्थान हासिल किया। दोनों टीमों को प्रमाणपत्र, ट्रॉफी के साथ ही नकद राशि बतौर पुरस्कार दी गई।

विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. पवन कुमार अग्रवाल ने कहा कि तीन दिनों तक चली प्रतियोगिता के दौरान 23 संस्थानों के 69 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग कर कानून की बारीकियां समझीं। इस दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा सहित विश्वविद्यालय के प्राध्यापक मौजूद रहे।

Amar Ujala

1-http://www.khabrain.in/icfai+university+won+trophy+moot+court+compitition++++

2-http://gadhsamvedna.com/35**वीं-अखिल-भारतीय-अंतर-विश्**/

3-http://www.khabrain.in/icfai+university+org+moot+court+compitition+

4-http://gadhsamvedna.com/**इक्फाई-विवि-देहरादून-में**/